अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

/2023/225 सतीश कुमार V/s अजरूद्दीन वगैरह

2023/62

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री विनोद जैन AD श्री दीपक पारीक

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

सतीश कुमार बनाम अजरूद्दीन वगैरह

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो० संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 10.02.2023 को प्रार्थना पत्र (प्राथमिक आपत्ति) व प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि प्रार्थी/वादी अजरूद्दीन ने एक वाद माननीय न्यायालय में घोषणा विभाजन का पेश किया जिसमें प्रार्थी/रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि कुल रकबा 6.99 हैक्टर वाके मौजमाबाद में स्थित है का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावें। जिसके बाबत प्रार्थी/अपीलांट को कोई आपत्ति नही है न उक्त भूमि से प्रार्थी/अपीलांट का कोई संबध व सरोकार नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो० संख्या 1 ने अपने उक्त विभाजन के वाद के साथ गलत तथ्यों के आधार पर खसरा नम्बर 5990 रकबा 0.47 हैक्टर वाके मौजमाबाद को सम्मिलित करते हुए उक्त भूमि के बाबत अपना आवागमन का रास्ता होने तथा उसका प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 लगातार उपयोग–उपभोग काश्त करते चले आ रहे है का कथन करते हुए उक्त वाद में सम्मिलित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत, झूठे, बेबुनियाद तथ्य रखते हुए प्रार्थी/अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 5990 रकबा 0.47 है. के बाबत एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2023 व दिनांक 03.02.2023 को प्राप्त कर लिया। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजीयात से रेस्पोंडेन्ट का कोई संबध व सरोकार नही है उक्त भूमि रेस्पोडेनट की अन्य भूमि से लगवा तथा झाग मौजमाबाद रोड पर स्थित होने से उनकी नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है और वे उक्त भूमि को जबरन हड़प करने की नियत से उक्त भूमि में से आवागमन करने व कब्जा होने का गलत कथन करते हुये उक्त वाद पेश किया है तथा प्रार्थी अपीलांट खसरा नम्बर 5990 रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है उसके बाबत गलत तथ्यों के आधार पर जिस प्रकार से एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02. 2023 एवं 03.02.2023 की क्रियान्विति को स्थगित फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन किया कि उपरोक्त अपील अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 व 03.02.2023 प्रकरण संख्या 1/2023 अजरूददीन बनाम जहीरूददीन में पारित स्थगन आदेश राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 23.02.2023 तक बनाए रखने के आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ना होकर सीधे ही माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 23.02.2023 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था जिसमें किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की हानि होने की कोई संभावना नहीं है। वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने जैसा आदेश पारित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत रिकार्डेड खातेदार को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

---- लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

62/2023/225 सतीश कुमार व/ आजस्द्र्दीन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2022/62
पेशी	श्री विनोद जैन श्री डी पर पारीक

लगातार

भी पाबंद किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया न्यायोचित व न्यायसंगत आदेश पारित किया था। अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 01 ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलांट को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर गुणावगुण पर निर्णय पारित होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं कर उन्होने न्यायालय को मुगालते रखते हुए सीधे ही न्यायलय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो राजस्व मंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगदीश बनाम भोपालाराम जिसमें वृहद पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आगामी दिनांक तक जारी स्थगन आदेश जो राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने जैसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो तो उसकी अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद के आदेश दिनांक 01.02.2023 एवं आदेश 03.02.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.02.2023 एवं 03.02.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण को जारी नोटिस लौटकर नहीं आने से पूर्व ही अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि अप्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर चाराजोही करना चाहिए थी, जो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं एवं अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही नहीं कर, कर सीधे ही न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। उक्त आदेश से प्रथमदृष्टया अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्यवता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अभिभाषक उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

---लगातार

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

62/2023/225 2023/62	सतीश कुमार व/ज़ पदमा देवी हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
श्री विनोद जैन	श्री दीपक पारीक	
	प्रकरण का निरस्तारण किये जाने से अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने बाबत् सारहीन हो चुका है, इसलिए खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner